



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



क्रमांक : प. 4(66)वित्त-1(1)आय.व्य/2019

जयपुर, दिनांक : 31 मार्च, 2021

कोषाधिकारी
उदयपुर राजस्थान।

स्वीकृति संख्या-841/2020-21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 08.89 लाख मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ.1(6)(181)/लेखा/टीएडी/टीआरआई/2020-21 जयपुर दिनांक 31.03.2021 (स्वीकृति संख्या 74/2020-21) में अंकित कार्य एवं शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 08.89 लाख (अक्षरे रुपये आठ लाख नवासी हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे :-

मांग संख्या-30

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण

02 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

(02) - जनजाति उपयोगना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान

[16] - जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (केन्द्रीय सहायता) राशि रु. 08.89 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर
- 2 प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
- 4 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 5 तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
- 6 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 7 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, (बजट)